प्रेस प्रकाशनी

मार्च 2009

भारत वित्तीय स्थिरता मंच का सदस्य बनेगा

17 मार्च 2009

वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) ने लंदन में 11-12 मार्च 2009 को आयोजित अपनी पूर्ण बैठक में सदस्यता को व्यापक बनाने और भारत को एक नए सदस्य के रू प में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। नए सदस्य बनने के लिए आमंत्रित अन्य देशों में जी-20 देश हैं जो वर्तमान में वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) के सदस्य नहीं हैं और भारत के अलावा इनमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मेक्सिको, रू स, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, स्पेन और यूरोपियन आयोग शामिल हैं।

वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) की स्थापना वर्ष 1999 में जी-7 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों द्वारा परिवर्धित सूचना के आदान-प्रदान और वित्तीय बाजार पर्यवेक्षण और निगरानी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वर्तमान वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) में जी-7 देशों, आस्ट्रेलिया, हाँगकाँग, नीदरलैण्ड, सिंगापुर और स्विटज़रलैण्ड के राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकारी (केंद्रीय बैंक, पर्यवेक्षी प्राधिकारी और वित्त मंत्रालय) तथा अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान, अंतरराष्ट्रीय विनियामक और पर्यवेक्षी समूह, केंद्रीय बैंक विशेषज्ञों की समितियां और यूरोपियन केंद्रीय बैंक शामिल हैं। वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) सचिवालय बासेल, स्विटज़रलैण्ड के अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक में स्थित है।

भारत बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति का सदस्य बनेगा

17 मार्च 2009

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (सीसीबीएस) ने 10 और 11मार्च 2009 को हुई अपनी बैठक में अपनी

सदस्यता बढ़ाने और भारत को नए सदस्य के रू प में आमंत्रित करने का निर्णय लिया। नए सदस्य बनने के लिए आमंत्रित अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोरिया, मैक्सिको और रू स शामिल हैं। बासेल समिति की अभिशासन निकाय का भी विस्तार किया जाएगा ताकि इन नए सदस्य संगठनों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों को शामिल किया जा सके।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षी मामलों पर नियमित सहयोग के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है। यह समिति पर्यवेक्षी और जोखिम प्रबंधन की वैश्विक पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है और मजबूत बनाती है। समिति की सदस्यता बढ़ाने से अब उसके प्रतिनिधियों में ऑस्ट्रेलिया, बेलज़ियम, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, कोरिया, लक्जमबार्ग, मैक्सिको, नीदरलैण्ड, रू स, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, यू.के. और अमरीका शामिल हैं। समिति का सचिवालय अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, बासेल स्विटजरलैण्ड में स्थित है।

भारत सरकार ने आज 10,000 करोड़ रुपए के तेल बांड जारी किये

23 मार्च 2009

भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रु पए (सांकेतिक) के लिए ञ8.00 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बांड, 2026' जारी करने की घोषणा की है। विशेष बांड तीन तेल विपणन कंपनियों को जारी किये जा रहे हैं। यह उनको चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू बिक्री में अनुमानित कम वसूली के लिए क्षतिपूर्ति के रू प में किया जा रहा है। ये विशेष बांड 23 मार्च 2009 (सोमवार) को निम्नलिखित तेल विपणन कंपनियों को सममूल्य पर जारी किये जा रहे हैं।

1. भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आइओसीएल) 5,817.27 करोड़ रु पए
2 भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) 2,144.32 करोड़ रु पए
3 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (एचपीसीएल) 2,038.41 करोड़ रुपए

विशेष बांड में बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा निवेश उनकी सांविधिक आवश्यकताओं के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश के लिए गिनती में नहीं लिये जाएंगे। तथापि, बीमा कंपनियों द्वारा ऐसे निवेश बीमा नियंत्रण और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के अंतर्गत पारिभाषित ञ्अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियोंट श्रेणी के अंतर्गत पात्र होंगे। साथ ही विशेष बांड में भविष्य निधि, उपदान, अधिवर्षिता निधि आदि द्वारा ऐसे निवेश वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक आदेश के अंतर्गत पात्र निवेश माने जाएंगे।

विशेष बांड अंतरणीय होंगे और बाजार हाजिर वायदा लेनदेन (रिपो) के लिए पात्र होंगे।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की चलनिधि बाध्यताओं के समाधान के लिए ढांचा

31 मार्च 2009

भारत सरकार ने जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली प्रणालीगत रू प से महत्वपूर्ण पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के अस्थायी चलनिधि असंतुलनों को पूरा करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (आइडीबीआइ एसएएसएफ) न्यास जिसे इस परिचालन को शुरू करने के लिए विशेष प्रयोजन सुविधा के रू प में अधिसूचित किया गया है, के माध्यम से चलनिधि सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक व्यवस्था की घोषणा की है।

यह सुविधा वर्तमान में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 31 मार्च 2009 तक जारी किए गए किसी पेपर के लिए उपलब्ध है। अब यह निर्णय किया गया है कि यह सुविधा 30 जून 2009 तक जारी किए गए किसी भी पेपर के लिए प्रदान की जाए। विशेष प्रयोजन सुविधा (एसपीवी) 30 सितंबर 2009 के बाद कोई नई खरीद नहीं करेगी और 31 दिसंबर 2009 तक सभी बकायों की वसूली करेगी।

अन्य सभी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।